BALAJI PHOSPHATES LIMITED
CIN: L24123MP1996PLC067394
(Formerly known as BALAJI PHOSPHATES PRIVATE LIMITED)
CIN: U24123MP1996PTC067394
REGD. OFFICE: 305 UTSAV AVENUE, 12/5 USHA GANJ JAORA COMPOUND, G.P.O., INDORE-452001, MADHYA PRADESH, INDIA,
(Previously Situated at Shop No.6, Ayodhya Das Trade Center Vijay Chowk, Gorakhpur-273001 UP India)

Date: 22nd September, 2026

To,
The Manager - Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Sandra Kurla Complex, Sandra East,
Mumbai - 400051.

Scrip Symbol: - BALAJIPHOS
ISIN: INEOPQ601019

Sub: Enclosure of Newspaper Clipping for Corrigendum to the Notice of 30th Annual General Meeting published in "Business Standard" (English & Hindi Edition) on 22nd September 2026.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. We wish to inform you that the Corrigendum to the Notice convening the 30th Annual General Meeting ("AGM") of Balaji Phosphates Limited has been published in "Business Standard" (English Edition and Hindi Edition) on 22nd September 2026.

In this regard, please find enclosed herewith a copy of the relevant newspaper clipping for your information and records.

Kindly take this information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For BALAJI PHOSPHATES LIMITED

Mohit Airen

MOHIT AIREN
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00326470
Encl.: Copy of Newspaper Publication

Contact No:8349990244
E-mail: balajiphosphates@gmail.com/infous@balajiphosphates.com
Website: www.balajiphosphates.com

Coal stocks at 74 power plants down to just 7 days

NANDINI KESHARI
New Delhi, 21 September

Coal inventories at India's thermal power stations plunged to 22.9 million tonnes (mt) on September 19, dragging the fuel cover down to just seven days and constituting only 39 per cent of the normative stock. Of the 190 thermal plants, 74 are grappling with critically depleted stockpiles, compared to 51 as of August, according to Central Electricity Authority (CEA) data.

Coal stocks have dropped 24 per cent to 22.9 mt from August 31 level of 29 mt. as the inventory situation deteriorated. In August, stocks fell about 42 per cent from 50 mt in the same month last year as coal-based generation increased nearly 13 per cent amid a spike in power demand. Coal stocks cover nearly halved to nine days in August from 17 days a year earlier, the lowest level since November 2023.

"The last time inventory levels were at a similar level was in October 2023, when stocks fell to around 7.5 days of cover amid an El Niño-driven increase in power demand. An even tighter inventory position was recorded in September 2021, when stocks fell to around 4 days due to supply-chain disruptions," said Sehul Bhatt, director, Crisil Intelligence.

After stabilising in July and August, electricity demand increased to over 255 gigawatt (Gw) in the first week of September, even reaching around 267 Gw. The all-time peak stood at 270 Gw recorded in May this year. The CEA deems coal stocks at power plants critical when they fall 25 per cent below the required inventory or when the plant is only able to generate power for less than three days. According to Crisil, the decline in coal stocks at power plants could be a temporary logistical issue rather than a sign of any structural supply constraints. All India actual thermal generation hovered between 4,058 million units (mu) and 4,190 mu in the past one week, the daily generation data from CEA showed.

Earlier this month, the Ministry of Coal announced that corrective coal supply measures are in place to address the situation at thermal power plants with critical coal stocks. Rake loading to the power sector rose to 444 rakes from 370 rakes within a week in early September.

State-owned miner Coal India Ltd currently holds around 76 mt of coal at its pit-heads, indicating that the availability of coal at the production end remained adequate.

An increase in plants falling below normative coal stocks during August and September is seasonally plausible as monsoon rainfall can affect coal production, loading, quality, and railway movement.

The CEA's revised stocking norms account for this seasonality. The requirement is calculated at an 85 per cent plant load factor and distinguishes between pithead and non-pithead plants.

When fuel cover shrank

	Coal stock cover (days)	Volume (mn tonnes)	Thermal plants with critically low stocks
Sep 2021	4	8	104
Apr 2022	8	22	104
Oct 2023	7.5	21	78
Oct 2024	12	35.3	31
Jan 2025	17	50	32
Aug 2026	9	29	51
Sep 19, 2026	7	23	74

Source: Central Electricity Authority

Now, Google to share child abuse case details with govt

AASHISH ARYAN
New Delhi, 21 September

Search engine major Google will also start sharing details of child sexual abuse cases and repeat offenders with the cybercrime division of the Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) of the Ministry of Home Affairs, sources told *Business Standard*.

Google follows in Meta India's footsteps, which has also agreed to start reporting details of child sexual abuse material (CSAM) cases as well as other details of repeat offenders in such cases.

GOOGLE INDIA FOLLOWS IN META INDIA'S FOOTSTEPS, WHICH HAS ALSO AGREED TO START REPORTING DETAILS OF SUCH CASES

A spokesperson for Google confirmed the development and said that it had "proposed to operationalise the provision of relevant information to the I4C in cases related to CSAM."

"Google is deeply committed to fighting CSAM online and preventing its platforms from being used to create, store or distribute such material. We invest significantly to detect, deter, remove, and report CSAM," the company spokesperson said.

The company has written to both the I4C and the Ministry of Electronics and Information Technology, explaining the reasons for the proactive step, a source said, adding that details of the CSAM cases would start flowing to the I4C as soon as the company has the technical framework ready.

"Protecting children on our platforms is a priority for us, and we're committed to working with the government to ensure that the perpetrators of these crimes are held responsible. To collectively strengthen our efforts to combat this harm, Meta will now report child safety matters directly to the cybercrime portal managed by I4C," a spokesperson for Meta had then said.

The Ministry of Electronics and Information Technology, led by Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw, raised this issue with Meta's Chief of Global Affairs, Joel Kaplan, when the latter flew to New Delhi in August this year.

Until now, all US-headquartered social media platforms, including Google and Meta, shared instances of CSAM only with the National Centre for Missing & Exploited Children (NCMEC), a private US non-profit organisation.

NCMEC then shared details of repeat offenders or similar online accounts with law enforcement agencies in their respective domains.

The delay in obtaining information had often led to Indian law enforcement agencies getting a late start on critical CSAM cases, including those where children were being exploited to make exploitative and sexually suggestive content.

Google, Meta, and all US-headquartered social media companies must report all instances of CSAM to NCMEC under US federal law.

Failing to do so exposes them to criminal liability, financial penalties, and loss of safe harbour protections.

Arrest without written grounds violates rights, apex court rules

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 21 September

The Supreme Court on Monday directed that departmental proceedings be initiated against police officers who fail to furnish written grounds of arrest to an accused, holding that such a lapse violates the constitutional guarantee under Article 22(1).

The Article says no arrested person can be detained in custody without being informed.

A Bench of Justice Ujjal Bhuyan and Justice Atul S Chandurkar said an arrest made without communicating the grounds of arrest in writing is unconstitutional.

The Court also laid down safeguards governing any subsequent attempt by the investigating agency to re-arrest the accused.

The ruling came in a case concerning the arrest of Shiromani Akali Dal leader Jaskaranjit Singh in connection with allegations of sexual assault of a minor.

The Court held his arrest illegal after finding that the grounds of arrest had not been supplied to him.

Industry in Odisha seeks greater scope to use degraded forest areas

HEMANT KUMAR ROUT
Bhubaneswar, 21 September

Amid concerns over shrinking agricultural and other non-forest land for industrial, infrastructure and real estate projects, industry bodies in Odisha have sought to use degraded forest areas to meet afforestation obligations arising from diversion of forest land.

The issue is significant for the state, which has already achieved the one-third forest and tree-cover benchmark and also has a substantial area of degraded forest with low canopy density.

Industry associations argued that allowing degraded forests to be restored could ease the pressure on scarce non-forest land without diluting the environmental obligations attached to forest diversion.

Under the existing framework, compensatory afforestation is generally required to be carried out over equivalent non-forest land that is not under the management and administrative control of the forest department.

The land should, as far as possible, have the potential to compensate for the ecosystem goods and services lost as a result of forest diversion for industrial, mining or infrastructure projects.

The rules, however, provide for the use of degraded forest land in specified circumstances. In eligible cases, including certain projects in states where forest area exceeds 33 per cent of the geographical area and suitable non-forest land is unavailable, compensatory afforestation can be undertaken over degraded forest land measuring at least twice the area of forest diverted.

The provision is available only to central agencies, central public sector enterprises and captive coal blocks of state public sector enterprises.

Odisha Steel Producers' Association (OSPA) has urged the state government to recommend to the Centre a policy relaxation allowing industrial project proponents in Odisha to undertake compensatory afforestation over twice the area of degraded forest land diverted for non-forest purposes.

This should be irrespective of ownership, on the lines of the provision currently available to certain central government agencies and public sector projects. The association has specifically requested the Odisha government to examine the proposal and make a strong recommendation to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) to permit all industrial project proponents in forest-rich states, such as Odisha, to raise compensatory afforestation over double the degraded forest area.

More on business-standard.com

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्ला सायनी रोड, परेल एसटी डिपो, प्रभादेवी, मुंबई 400025, सीएस: 8291889898 वेबसाइट: www.motilaloswalhf.com, ई-मेल: hfquery@motilaloswal.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अधीन)

चूंकि, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 वर्ष 2002) के अधीन तथा धारा 13(12) के पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लेखित तारीख को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों को कथित सूचना के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित रकम, जिसका यहां नीचे भी उल्लेख किया गया है, चुकता करने को कहा गया था।

नीचे उल्लेखित कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदारों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लेखित तारीख को निम्नलिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है।

क्र. सं.	ऋण अनुबंध सं./कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया रकम	कब्जा की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण: निम्नलिखित पते वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा
1.	LXGUN00116-170043063/ कर्जदार:- कुशाल सिंह जाटव/ सह-कर्जदार:- सुनीता बाई जाटव	11-06-2026 रु. 8,06,868/- हेतु	16-09-2026	पी.एच. सं. 27, त्रिलोकपुरी कॉलोनी के पास, अशोकनगर, तहसील एवं जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, वार्ड सं. 01 में सर्वे सं. 20/1/मिन-48 में स्थित क्षेत्रफल 0.005 हेक्टेयर। क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट परिमाप का ई-04। पूर्व-नरेश गोस्वामी एवं अन्य का ब्लॉक सं. ई-01। पश्चिम-ब्लॉक सं. ई-03 में अन्य का पक्का मकान। उत्तर-नरेश गोस्वामी एवं अन्य का ब्लॉक सं. ई-07। दक्षिण-20 फीट चौड़ी आम सड़क।
2.	LXMOGUNA721-220624578/ कर्जदार:-ब्रजेश शर्मा/ सह-कर्जदार:- सुमन बाई शर्मा / रामेश्वर शर्मा	07-07-2026 रु. 740576/- हेतु	18-09-2026	शिवशक्ति नगर, आरोन, तहसील आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश के वार्ड सं. 09 के पटवारी हल्का सं. 22 में सर्वे सं. 1426/4/क/2/2/1 के तहत न्यूनतम क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट परिमाप क्षेत्रफल का प्लॉट सं. 74। पूर्व - शर्मा जी का प्लॉट, पश्चिम - विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर - कॉलोनी की सड़क, दक्षिण - विक्रेता की शेष भूमि

विशेष रूप से कर्जदार तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति के संबंध में अगर कोई भी सौदा किया जाता है तो वह यहां ऊपर उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए समय की उपलब्धता के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 22.09.2026 / स्थान: मध्य प्रदेश

हस्ता/-, अधिकृत अधिकारी
(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLIND00545301 / HHLIND00545183 / HHEIND00547711 / HHEIND00548139 1. अजय कुमार राठौड़ (प्रोपराइटर) एआरएम इंडस्ट्रीज 2. मोनिका राठौर	**संपत्ति संख्या 1** फ्लैट नंबर 103, पहली मंजिल, हाईवे करुणा सागर, ब्लॉक-डी, पटवारी हलका नंबर 23, सर्वे नंबर 176/1, 177/3, 178/1, 179/4/2, गांव कनाड़िया, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452020, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 550 वर्ग फीट यानी 51.11 वर्ग मीटर है। **संपत्ति संख्या 2** आवासीय अपार्टमेंट 304, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बी-13, उपरोक्त स्कीम पलाश परिसर-2 में निर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारत है, जिसका कार्पेट क्षेत्र 56.38 और निर्मित क्षेत्र 59.98 वर्ग मीटर है, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452020।	04.07.2026	रु. 5,32,962.81/- (रुपए पांच लाख बत्तीस हजार नौ सौ बासठ और इक्यासी पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और रु. 12,95,630.05/- (रुपए बारह लाख पंचानवे हजार छह सौ तीस और पांच पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) और रु. 5,44,951.27/- (रुपए पांच लाख चौवालीस हजार नौ सौ इक्यावन और सत्ताईस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 3 के विरुद्ध) और रु. 43,055.27/- (रुपए तैंतालीस हजार पचपन और सत्ताईस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 4 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रु. 24,16,599.40/- (रुपए चौबीस लाख सोलह हजार पांच सौ निन्यानवे और चालीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1, 2, 3 और 4 के विरुद्ध) 21.08.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट सी 54 और सी 55, सुपर बी-4, थिरु विका औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032
शाखा का पता: प्रथम तल, नं. 88, सेक्टर-ए, कलानी बाग, देवास, जिला-देवास (मध्य प्रदेश) - 455001 शाखा का पता: पहिला मजला, बुरहानी मंजिल, वॉर्ड क्रमांक 21, महू-नीमच रोड, पलाश हॉटेलजवळ, रतलाम - 457001 पहिला मजला, क्र. 65, मृगनयनी नीलम नैय्यर भवन, स्टेशन रोड, शाजापुर (मध्य प्रदेश) - 465001.

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 [12] के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम [B] में दिए गए हैं, को कॉलम [C] में निर्दिष्ट तिथियों पर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [D] में दी गई बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए थे।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 [4], 13 [12] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 8 के साथ पठित है, कॉलम [E] में उल्लिखित संबंधित तिथियों को कंपनी के पास बंधक संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कॉलम [D] में उल्लिखित राशि के साथ-साथ ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 [8] के तहत, उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके सुरक्षित संपत्ति को छुड़ा सकते हैं।

अनु क्र. [A]	उधारकर्ता का नाम एवं पता ऋण खाता संख्या [B]	मांग नोटिस की तिथि [C]	बकाया राशि [D]	कब्जे की तारीख [E]
1.	ऋण खाता क्र.: HE01DEW00000039551 1. दिवेश कानूनगो (आवेदक), 2. श्री खेड़ापति मेडिकल एजेंसीज (सह-आवेदक), पता: दुकान नं. U-105 से U-106, सुपर मार्केट, जवाहर मार्ग, देवास, मेन रोड, मध्य प्रदेश - 455001 3. दिवेश कानूनगो (आवेदक), 4. मेघा कानूनगो (सह-आवेदक), 5. अनीता कानूनगो (सह-आवेदक), 6. हेमचंद्र कानूनगो (सह-आवेदक), 3, 4, 5 एवं 6 का पता: 15 ईडब्ल्यूएस, वार्ड नं. 8, नगर निगम कॉलोनी, मेन रोड, देवास, मध्य प्रदेश - 455001	14/07/2026	रु. 2,90,52,218.00/- दिनांक 14/07/2026 तक तथा उस पर ब्याज	19-09-2026
संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्र. 1: आइटम क्र. 1: रानीबाग, उज्जैन रोड, देवास (म.प्र.) में प्लॉट क्र. 15-A के समीप स्थित खुली भूमि **सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व:** मकान क्र. 15-A, **पश्चिम:** शिवशक्ति नगर की सीमा, **उत्तर:** कॉलोनी रोड, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड आइटम क्र. 2: नगर निगम कॉलोनी, उज्जैन रोड, देवास (म.प्र.) में स्थित प्लॉट क्र. 15-A एवं उस पर निर्मित मकान। **सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व:** खुली भूमि, ईडब्ल्यूएस क्वार्टर क्र. 16, **पश्चिम:** खुली भूमि, **उत्तर:** कॉलोनी रोड, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड संपत्ति क्र. 2: प्लॉट क्र. 95-B का भाग तथा उस पर निर्मित मकान, "सेक्टर-B" में, संपत्ति की अनुसूची में वर्णित 04, बाग कॉलोनी, देवास जूनियर, देवास (म.प्र.) में स्थित **सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व:** प्लॉट क्र. 94, **पश्चिम:** प्लॉट क्र. 96-B का शेष भाग, **उत्तर:** प्लॉट क्र. 96-B, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड संपत्ति क्र. 3: दुकान क्र. U-105 (छत की ऊँचाई तक), वार्ड क्र. 30, इसराल क्र. 312, सुपर मार्केट में स्थित (शामलात रोड A-B रोड से गांजा भाग चौराहा के बीच), देवास (म.प्र.) **सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व:** दुकान क्र. U-106, **पश्चिम:** प्लॉट क्र. U-104, **उत्तर:** ब्रिज रास्ता, **दक्षिण:** मार्केट रास्ता संपत्ति क्र. 4: प्लॉट क्र. 26 (नजूल स्वीकृति क्र. 26) एवं उस पर निर्मित मकान, सेठ जीतमल नगर कॉलोनी, ग्राम बावड़िया, तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.) में स्थित **सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व:** प्लॉट क्र. 25, **पश्चिम:** प्लॉट क्र. 27, **उत्तर:** पगडंडी, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड				
2.	ऋण खाता क्र.: HE01UUB00000087292 और HE01UUB00000045985 1. प्रेम सिंह परिहार (आवेदक), 2. विष्णु बाई प्रेम (सह-आवेदक), 3. गोकुल दूध डेयरी (सह-आवेदक) वार्ड नं. 2, बिकलाखेड़ी, शाजापुर, खोरिया गैता, मध्य प्रदेश - 465110।	14/07/2026	रु. 55,46,777.00/- दिनांक 14/07/2026 तक तथा उस पर ब्याज	21-09-2026
संपत्ति का विवरण: पी.एच. नं. 39, ग्राम बिकलाखेड़ी की भूमि सर्वे नं. 885/1, पटवारी हल्का नं. 16, पुराना नं. 42, तहसील एवं जिला शाजापुर, भूमि रकबा 0.09 हेक्टेयर (9000 वर्ग फुट) **सीमाएँ निम्नानुसार : पूर्व:** शासकीय कुआँ एवं शासकीय भवन, **पश्चिम:** सत्यनारायण की खुली भूमि, **उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** स्वयं की खुली भूमि				
3.	ऋण खाता क्र.: HE01RAT00000028662 1. गोपाल पांचाल (आवेदक), 2. संगीता पांचाल (सह-आवेदक), 3. मनीष पांचाल (सह-आवेदक), 4. मेसर्स पांचाल वेल्डिंग वर्कशॉप एंड गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन (सह-आवेदक) मकान नं. 1, वार्ड नं. 101, ग्राम हसनपालिया, तहसील पिपलोदा, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457222	14/07/2026	रु. 20,36,349.00/- दिनांक 14/07/2026 तक तथा उस पर ब्याज	21-09-2026
संपत्ति का विवरण: एक मकान, पंचायत पंजीयन क्रमांक 01, ग्राम हसनपालिया, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम में स्थित, कुल क्षेत्रफल 1260 वर्ग फुट **सीमाएँ निम्नानुसार: पूर्व:** प्रभुलाल जाट का मकान, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** राजेंद्र पांचाल का मकान, **दक्षिण:** तेजाजी मंदिर				

दिनांक : 19/09/2026, 21/09/2026
स्थान: देवास, शाजापुर, रतलाम

प्राधिकृत अधिकारी,
मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनान्स कंपनी लिमिटेड

CFM thoughtful regeneration

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रॉट रोड, बैलार्ड ईस्ट, मुंबई - 400038

कब्जा सूचना

परिशिष्ट IV | (अचल संपत्ति के लिए) | नियम 8 (1) के साथ पठित

जबकि, अधोहस्ताक्षरी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं (जो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सीएफएमएआरसी ट्रस्ट - 219 की क्षमता में कार्यरत है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) की तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए), ने मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ने उपर्युक्त ऋण खाते की संपूर्ण बकाया ऋण राशि के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 23-03-2026 को ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच निष्पादित असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत हस्तांतरित कर दिए हैं। सीएफएमएआरसी द्वारा कब्जे में ली गई बंधक संपत्ति सहित बकायादारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

ग्राहक (उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं)/साझेदार(ओं) / बंधककर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना की तारीख और राशि रु. में	कब्जे की तारीख
कैलाशचंद रेगर (उधारकर्ता), बाबूलाल रेगर (सह-उधारकर्ता), कमलाई बाई (सह-उधारकर्ता), ऋण खाता संख्या : OXYTLO1MH8C	मांग सूचना की तारीख : 05-06-2026, रु. 335528/- (रुपये तैंतीस लाख पचपन हजार पाँच सौ अट्ठाईस मात्र) 19-05-2026 तक	16-09-2026
बंधक संपत्ति : मकान नंबर 160, वार्ड नंबर 20 छोटाला प्रमाण पत्र नंबर 17 तहसील सिंगोली, नीमच, नीमच, मध्य प्रदेश, 458228, सीमाएं : उत्तर आम रास्ता, दक्षिण : श्री मोहन लाल जैन की संपत्ति, पूर्व आम रास्ता, पश्चिम: श्री शंकर लाल रेगर की संपत्ति		

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, ऊपर वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** "कब्जे की तारीख" कॉलम में ऊपर उल्लिखित तारीख को ले लिया है।

उपर्युक्त में विशेष रूप से उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी व्यवहार **सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा, इस नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और प्रतिस्थापन ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और प्रभार आदि, जो ऊपर उल्लिखित विवरण में बकाया राशि की स्थिति की तारीख के ठीक अगले दिन से पूर्ण पुनर्भुगतान और / या वसूली की तारीख तक देय होंगे। आगे उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों का विवरण ऊपर उल्लिखित अनुसार है।

दिनांक : 22.09.2026
स्थान : मध्य प्रदेश,

अधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(सीएफएमएआरसी - 219 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय - जयपुर

AU SMALL FINANCE BANK

शाखा बंद करने और विलय के संबंध में सार्वजनिक सूचना

हमारी आगर मालवा शाखा, जो वर्तमान में ऊपरी ग्राउंड फ्लोर, बंसी टॉवर, प्लॉट नं.-232, रानी सती मार्ग, जैन मंदिर के पास, इंदौर से कोटा रोड, आगर मालवा, जिला-आगर मालवा, मध्य प्रदेश - 465441 में कार्यरत है वह 26 अक्टूबर, 2026 से बंद कर दी जाएगी और नीचे उल्लिखित शाखा में विलय कर दी जाएगी।

नई विलयित शाखा का नाम और पता

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
जीरापुर, ग्राउंड फ्लोर, वार्ड नं.-13, माचलपुर रोड, जीरापुर, जिला - राजगढ़, मध्य प्रदेश - 465691

स्थान: आगर मालवा, मध्य प्रदेश
दिनांक: 22 सितंबर 2026

शाखा प्रबंधक, मध्य प्रदेश

BPPL

बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड
(पूर्व में बालाजी फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN : U24123MP1996PLC067394

पंजीकृत कार्यालय: 305 उत्सव एवेन्यू, 12/5 उषागंज जावरा कंपाउंड, इंदौर जी.पी.ओ., इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001.
(पूर्व में दुकान नं. 6, अयोध्या दास ट्रेड सेंटर विजय चौक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273001 भारत में स्थित)

वार्षिक आम बैठक (AGM) के नोटिस का सुधार/त्रुटि-सुधार (CORRIGENDUM/ERRATA)

बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक, जो शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर 305 उत्सव एवेन्यू, 12/5 उषा गंज, जावरा कम्पाउण्ड, जी.पी.ओ., इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001, जो बैठक का स्थल है और वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही, में आयोजित होने वाली है, के नोटिस के संबंध में। उपरोक्त वार्षिक आम बैठक (AGM) के मूल नोटिस में वर्णित व्यवसायिक मामलों को संपादित करने हेतु, जो नोटिस कंपनी द्वारा दिनांक 03 सितंबर, 2026 को शेयरधारकों को परिचालित किया गया था।

कंपनी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, दिनांक 12 सितंबर, 2026 के पत्र में उल्लिखित, कंपनी की वार्षिक आम बैठक के नोटिस और उसके अंगभूत विवरणात्मक कथन में शामिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंटों के प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम (Preferential Issue) से उत्पन्न परिवर्तनों के अनुपालन में यह सुधार/त्रुटी-सुधार (Corrigendum/Erratum) जारी कर रही है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में अपना मत डालने से पूर्व उक्त सुधार (Corrigendum) को अवश्य देखें।

वार्षिक आम बैठक के नोटिस का उक्त सुधार (Corrigendum) कंपनी की वेबसाइट पर www.balajiphosphates.com और क्रमशः एनएसई इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है www.nseindia.com.

वार्षिक आम बैठक के नोटिस का सुधार (Corrigendum) केवल उन पात्र सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिन्होंने पहले से ही अपने ई-मेल पत्र जमाकर्ताओं (Depositories) / अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (Depository Participant) / कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत करवा दिए हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार को infous@skylinerta.com पर ई-मेल करें।

बोर्ड के आदेश से
बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड के लिए
SD/- मोहित ऐरेन
प्रबंध निदेशक, DIN: 00326470

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट सं. 15, 6वीं मंजिल, सैक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा - 122002
शाखा: मध्य प्रदेश

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित **उधारकर्ता और संपत्ति का मालिक/जमानतदार** को निम्नलिखित दिनांकों को नीचे वर्णित खाते के समक्ष एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना में उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करने का कहा गया था। चूंकि संपत्ति के मालिक तथा अन्य पक्ष राशि वापस करने में असफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 तथा 9 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों को नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से कोई भी लेन-देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार और उस पर ब्याज, लागत, आदि के अधीन होगा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है

कर्जदार/गारंटर का नाम (सम्पत्ति का मालिक) और ऋण खाता नं.	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि	कब्जे की तिथि
दीपक मालाकार, श्री/श्रीमती दीपक मालाकार पुत्र सोनू मालाकार मकान सं. 0709, वार्ड सं. 18, बाजार चौक, मस्जिद के पास, तहसील पुनासा, पुनासा, पूर्व निमाड़, 450114, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LA45VLLONS000005109793 (खंडवा-1)	मकान नं. 387, वार्ड नं. 10, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, अटोहा रोड के अंतर्गत, शहर पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा 450114, मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफल: 1600 वर्ग फुट या 148.69 वर्ग मीटर = 32x50 फुट। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व: सुरेश मालाकार का मकान, पश्चिम: सिताराम की बाड़ी, उत्तर: राजेश का मकान, दक्षिण: सड़क। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व: सुरेश मालाकार का मकान, पश्चिम: सिताराम की बाड़ी, उत्तर: राजेश का मकान, दक्षिण: सड़क	रु. 1029094/- (रुपये दस लाख उनतीस हजार चौरानवे मात्र) पर 11 मई 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती स्मिता चौरसिया पत्नी विजय चौरसिया श्री/श्रीमती आदर्श चौरसिया, श्री/श्रीमती विजय चौरसिया, 22/1 गुदरी चौराहा, उज्जैन ऋण खाता संख्या HL45CHLONS000005047807 LA45SVLONS000005176690 (इंदौर-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि पीएचएन-37, प्लॉट नं.-352, तिरुपति प्लेटिनम ब्लॉक-बी, तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी, ग्राम एवं ग्राम पंचायत दौदखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन 456006, उज्जैन, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल: 520 वर्ग फुट या 48.31 वर्ग मीटर। माप: 40x13 फुट। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: भूमि नं. 358, उत्तर: भूमि नं. 351, दक्षिण: भूमि नं. 353। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: भूमि नं. 358, उत्तर: भूमि नं. 351, दक्षिण: भूमि नं. 353	13-अप्रैल-2026 रु. 2116507/-(रुपये इक्कीस लाख सोलह हजार पांच सौ सात मात्र) पर 11 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती कृष्णा कुंवर श्री/श्रीमती शंभु सिंह श्री/श्रीमती सूरज राठौर, अंबा माता मंदिर के पास ग्राम अरनिया गुर्जर, पोस्ट हसनपालिया, पढ़ल्या, पिपलोदा, रतलाम, मध्य प्रदेश 457222 ऋण खाता संख्या HL45SVLONS000005141198 (रतलाम-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि पंजी सरल सं. 26, पीएचएन 28, ग्राम-अरनिया गुर्जर, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457226 संपत्ति का क्षेत्रफल-60 x 22 वर्ग फुट = 1320 वर्ग फुट। सीमाएं (स्वत्व के अनुसार) - पूर्व-सड़क, पश्चिम-शेर सिंह का मकान, उत्तर-खुमान सिंह का मकान, दक्षिण-मंदिर एवं खुमान सिंह का मकान। सीमाएं (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व-सड़क, पश्चिम-शेर सिंह का मकान, उत्तर-खुमान सिंह का मकान, दक्षिण-खुमान सिंह का मकान	13-अप्रैल-2026 रु. 1495750/-(रुपये चौदह लाख पंचानवे हजार सात सौ पचास मात्र) पर 11 जून 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती सरजू श्री/श्रीमती बलराम जाट श्री/श्रीमती भगत सिंह ग्राम रिजगांव, पोस्ट रिजगांव, जिला हरदा, तहसील हंडिया, रिजिगांव, 461331, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या HLHASVLONS000005133952 (हरदा-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 113 एवं 115, भूमि सर्वे नं. 83, ग्राम-रिजगांव, तहसील हंडिया, जिला हरदा, हरदा, 461331, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल: 1797.58 वर्ग फुट एवं 2264.44 वर्ग फुट। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) प्लॉट नं. 113 की पूर्व: श्री अशोक जाट का मकान, पश्चिम: श्री रमेश जाट का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: स्वयं की संपत्ति। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व: श्री अशोक जाट का मकान, पश्चिम: श्री रमेश जाट का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: स्वयं की संपत्ति। (स्वत्व विलेख के अनुसार) प्लॉट नं. 115 की पूर्व: श्री अशोक जाट का मकान, पश्चिम: श्री रमेश जाट का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: स्वयं की संपत्ति। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व: श्री अशोक जाट का मकान, पश्चिम: श्री रमेश जाट का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: स्वयं की संपत्ति	22-अप्रैल-2026 रु. 536,334.38/-(रुपये पांच लाख छत्तीस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) पर 11 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती संगीता कुमावत, श्री/श्रीमती चेतन कुमावत, श्री/श्रीमती अमित सिंह, 265 6 डी पी के पास बाबू मुराई कॉलोनी, इंदौर, इंदौर, 452005, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LAIOVLLONS000005121996 (इंदौर-4)	समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 125, बाबू मुराई कॉलोनी, इंदौर 452005, इंदौर, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल: 600 वर्ग फुट सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व: अन्य की भूमि, पश्चिम: मकान, उत्तर: गली, दक्षिण: सड़क। (स्थल के अनुसार) पूर्व: राधेश्याम का मकान, पश्चिम: पुनेकर का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: गली	12-जनवरी-2026 रु. 784683/-(रुपये सात लाख चौरासी हजार छह सौ तिरासी मात्र) पर 11 जनवरी 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती संध्या सोनी श्री/श्रीमती धीरज सोनी, मकान नं. 411-बी, विदुर नगर, ग्राम अहिरखेड़ी, इंदौर, जिला इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LA45CLLONS000005007550 LA45ECLONS000005032648 HL45CHLONS000005007551 (इंदौर-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 411-बी के पूर्वी भाग, विदुर नगर, ग्राम अहिरखेड़ी, जिला इंदौर 452001, इंदौर, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल: 500 वर्ग फुट। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व: भूमि नं. 412, पश्चिम: उसी भूमि का शेष भाग, उत्तर: कॉलोनी की सड़क, दक्षिण: भूमि नं. 364। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व: प्लॉट नं. 412, पश्चिम: उसी प्लॉट का शेष भाग, उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य का मकान	12-जनवरी-2026 रु. 812386.42/-(रुपये आठ लाख बारह हजार तीन सौ छियासी और बयालीस पैसे मात्र) पर 11 जनवरी 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती रीना बाई पत्नी योगेश श्री/श्रीमती योगेश श्री/श्रीमती जगदीश ग्राम- नईबरौदा, धार, मध्य प्रदेश-454010 ऋण खाता संख्या HLDHSVLONS000005129822 (धार-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि पी.एच. नं. 28/132, सर्वे नं. 30/1, ग्राम नईबरौदा मंडलोई, तहसील पीथमपुर एवं जिला धार, (म.प्र.)-454774 की एक आवासीय संपत्ति की समस्त भूमि एवं भवन। कुल क्षेत्रफल-2400 वर्ग फुट। सीमाएं (स्थल के अनुसार): पूर्व-स्वयं की भूमि, पश्चिम-स्वयं की भूमि, उत्तर-सड़क, दक्षिण-स्वयं की भूमि सीमाएं (स्वत्व विलेख के अनुसार): पूर्व-स्वयं की भूमि, पश्चिम-स्वयं की भूमि, उत्तर-सड़क, दक्षिण-स्वयं की भूमि	11-जून-2026 रु. 1111302/-(रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार तीन सौ दो मात्र) पर 10-जून-2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती लता बाई कृष्ण कुमार पत्नी कृष्णकुमार कौशल श्री/श्रीमती अजय कौशल पुत्र कृष्णकुमार कौशल श्री/श्रीमती आनंद कौशल पुत्र कृष्णकुमार कौशल इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, उज्जैन, जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश-456337 ऋण खाता संख्या LA45VLLONS000005066397 HL45CHLONS000005029155 (उज्जैन-1)	संपत्ति-1, खसरा नं. 544/1/9/1 के एक भाग का प्लॉट का समस्त भाग एवं अंश जोकि पी.एच. नं. 69, सर्किल इंगोरिया, उन्हेल-नागदा रोड के अंदर, तहसील-बड़नगर, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश-456337 कुल क्षेत्रफल: 547.5 वर्ग फुट या 50.86 वर्ग मीटर। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व-श्यामलाल कुमावत की भूमि, पश्चिम-सड़क, उत्तर-राधाकिशन राजपूत का मकान, दक्षिण-उक्त संपत्ति की शेष भूमि। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व-श्यामलाल कुमावत की भूमि, पश्चिम-सड़क, उत्तर-राधाकिशन राजपूत का मकान, दक्षिण-अनीता पत्नी शरद कौशल का प्लॉट संपत्ति-2, खसरा नं. 544/1/9/1 के एक भाग का प्लॉट का समस्त भाग एवं अंश जोकि पी.एच. नं. 69, सर्किल इंगोरिया, उन्हेल - नागदा रोड के अंदर, तहसील - बड़नगर, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश-456337 कुल क्षेत्रफल: 547.5 वर्ग फुट या 50.86 वर्ग मी. सीमाएं: (स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व-श्यामलाल कुमावत की भूमि, पश्चिम-सड़क, उत्तर-उक्त संपत्ति की शेष भूमि, दक्षिण-अनीता पत्नी शरद कौशल का प्लॉट। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व-श्यामलाल कुमावत की भूमि, पश्चिम-सड़क, उत्तर-राधाकिशन राजपूत का मकान, दक्षिण-अनीता पत्नी शरद कौशल का प्लॉट	11-मई-2026 रु. 1364433/-(रुपये तेरह लाख चौंसठ हजार चार सौ तैंतीस मात्र) पर 11 मई 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती हीरा बाई सोनी, श्री/श्रीमती महेंद्र कुमार सोनी, श्री/श्रीमती रजत सोनी, 390 कलानी नगर, कलानी नगर, बिजासन रोड, 452005, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या LA45CLLONS000005034095 LA45CLLONS000005052516 (इंदौर-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 390 (मध्य भाग), कलानी नगर, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.), इंदौर कुल क्षेत्रफल: 840 वर्ग फुट था। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व-कॉलोनी की सड़क, पश्चिम-प्लॉट नं. 209, उत्तर-प्लॉट नं. 227, दक्षिण-प्लॉट नं. 229। (वास्तविक स्थल पर) पूर्व-इस प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम-इस प्लॉट का शेष भाग, उत्तर-सड़क, दक्षिण-पिछली गली	22-अप्रैल-2026 रु. 1316819/-(रुपये तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) पर 23 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती बसंता बाई पत्नी कमल सिंह, श्री/श्रीमती करण राठौर पुत्र कमल सिंह, श्री/श्रीमती सूरज राठौर पुत्र कमल सिंह, ग्राम सुवासा, उज्जैन, 456337, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या HL45CHLONS000005108048 LA45VLLONS000005180492 (उज्जैन-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. एल.एच. 410, डब्ल्यू.एन. 17, संदीपनी, उज्जैन, तहसील एवं जिला उज्जैन 456337, उज्जैन, मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल: 387 वर्ग फुट या 36 वर्ग मीटर = 09x04 वर्ग मीटर। सीमाएं - (स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व-एलआईजी II का प्लॉट, पश्चिम-सड़क, उत्तर-मकान नं. एल.एच. 409, दक्षिण-मकान नं. एल.एच. 411, (स्थल के अनुसार) पूर्व-एलआईजी II का प्लॉट, पश्चिम-सड़क, उत्तर-मकान नं. एल.एच. 409, दक्षिण-मकान नं. एल.एच. 411	11-जून-2026 रु. 1222390/-(रुपये बारह लाख बाईस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) पर 11 जून 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती अनीता बाई पत्नी विक्रम राठौर, श्री/श्रीमती विक्रम राठौर पुत्र अंबाराम राठौर, 5/61-एफ, संत रविदास नगर, नानाखेड़ा के पास, उज्जैन, 456010, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या HL45CHLONS000005096359 LA45VLLONS000005144280 (उज्जैन-2)	समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 243 के उत्तरी भाग, डब्ल्यू.एन. 48, त्रिवेणी हिल्स, गोयलाखुर्द, इंदौर रोड के अंदरूनी भाग, उज्जैन, तहसील एवं जिला उज्जैन 456664, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल: 500 वर्ग फुट या 46.44 वर्ग मी. 12x3.87 फुट। सीमाएं -(स्वत्व विलेख के अनुसार) पूर्व-प्लॉट नं. 254, पश्चिम-कॉलोनी की सड़क, उत्तर-अमरनाथ एवेन्यू, दक्षिण-प्लॉट नं. 243 का शेष भाग (स्थल के अनुसार) पूर्व-प्लॉट नं. 254, पश्चिम-कॉलोनी की सड़क, उत्तर-कॉलोनी की चारदीवारी, दक्षिण-प्लॉट नं. 243 का शेष भाग	11-जून-2026 रु. 2118142/-(रुपये इक्कीस लाख अठारह हजार एक सौ बयालीस मात्र) पर 11 जून 2026 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)
श्री/श्रीमती मंजू बाई चौहान, श्री/श्रीमती अभिषेक चौहान, श्री/श्रीमती महेश चौहान, श्री/श्रीमती हेम सिंह चौहान, म.नं. 45, वार्ड 5, पोस्ट बागली, ग्राम बागली, बागली, देवास, 455001, मध्य प्रदेश ऋण खाता संख्या HL45SVLONS000005118711 (देवास-1)	समस्त भाग एवं अंश जोकि ग्राम-बगरदा, खसरा नं. 1184/3, मकान नं. 45, वार्ड नं. 5, तहसील जिला-देवास, देवास, मध्य प्रदेश 455001 कुल क्षेत्रफल: 3000 वर्ग फुट सीमाएं -(वास्तविक स्थल पर) पूर्व-सड़क, पश्चिम-स्वयं ग्राहक की कृषि भूमि, उत्तर-प्रेम सिंह की कृषि भूमि, दक्षिण-सुरेश का मकान। (स्वत्व विलेख के अनुसार): पूर्व-सड़क, पश्चिम-स्वयं ग्राहक की कृषि भूमि, उत्तर-प्रेम सिंह की कृषि भूमि, दक्षिण-सुरेश का मकान	10.10.2025 रु. 858347/-(रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) पर 11.10.2025 से लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज	17.09.2026 (सांकेतिक कब्जा)

किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी - श्री प्रतीक गुप्ता (8251818067) श्री संजय सिंह राठौर (+91 9993460061), और श्री सूर्यकांत राजा (9685768426), श्री नीरज शर्मा (7898786717) से संपर्क करें

तिथि: 22.09.2026, स्थान: मध्य प्रदेश,

(प्राधिकृत अधिकारी)
कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
